

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
पीलीभीत।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2014

विषय -वर्ष 2012-13 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु  
वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-210(1)/दै0आ0लि0-14, दिनांक 25-01-2014 का  
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा बाढ़ खण्ड पूरनपुर, पीलीभीत के कुल 11  
कार्यों/परियोजनाओं की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि रु0 7,75,92,000 द्वितीय किश्त के रूप में  
आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ खण्ड पूरनपुर, पीलीभीत के 02  
कार्यों/परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-2409/1-10-2013-33(392)/2011टी.सी.1, दिनांक  
06.06.2013 द्वारा रु0 2,84,08,500/- एवं शासनादेश संख्या-2451/1-10-2013-12(52)/2012,  
दिनांक 19.06.2013 द्वारा रु0 4,91,83,500/- की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में रु0  
7,75,92,000/- की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अतः अब द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि  
रु0 7,75,92,000/- (रूपये सात करोड़ पचहत्तर लाख बानबे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं  
प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार घर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके  
निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	योजना का नाम	कुल लागत धनराशि (लाख रु० में)	द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (लाख रु० में)
1	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बाये किनारे पर <sup>1</sup> स्थित ग्राम कबीरगंज, राणाप्रतापनगर एवं श्रीनगर आदि ग्रामों को बाढ़ सुरक्षा योजनान्तर्गत 5 अद्द स्परों की पुनर्स्थापना कार्य।	204.27	107.135
2	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बाये किनारे पर <sup>2</sup> स्थित सिद्धनगर, गोटिया ठिक्का आदि ग्राम समूह एवं ऐतिहासिक गुलद्वारा आदि की बाढ़ सुरक्षा योजना	353.90	176.95

जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनांशटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोर्चक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशानिर्देशों, मुख्य रूप से औचित्य प्रमाण पत्र सम्बन्धी बिन्दुओं पर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अद्वैतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0स0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाड़ लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोर्चक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों याले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को छण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता याले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोर्चक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा दम्नाभरित किगा जाए और उन्होंना

प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे रास्त आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू०पी०.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक ०४-०३-२०१३ में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक ३१ मार्च, २०१४ से पूर्य शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

- 9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
- 10- व्यय की गयी धनराशि, महालेखाकार कार्यालय में सही मद्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- १०६ (१)/१-१०-२०१४, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- २- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, ३०प्र० शासन।
- ३- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- ४- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- ५- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- ६- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- ७- उप निदेशक, (सामान्य) एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ८- वरिष्ठ पित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, ३०प्र०।
- ९- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पीलीभीत।
- १०- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५।
- ११- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- १२- गार्ड फाइल।

माजार से,

(अनिल कुमार वाजपेई)

उप सचिव।